

ACM-II

पुजा

12/2020

दावा

बनाम

दावा

प्रतिवादी क्र. 2, 5, 6 के बारे में
 खातेदार हैं। उनकी मृत्यु हो चुकी
 है तथा उनके वारिसों की सूची
 पेशा करके हेतु सूची में आदेशिका
 सि. 15/09/2021 को भी लिखत
 दी गयी है। अब कमीशन वादी
 द्वारा आवेदन 15। CPC का फल कर
 निवेदन किया है कि प्रतिवादी क्र. 2, 5, 6
 के विरुद्ध कोई दावा नहीं चली
 है, बसलिए दावा ग्राह्य एजेंट कर
 दिया जाये पर वादीगण को कोई
 आपत्ति नहीं है। ~~यह~~ यंत्रि वादीगण
 द्वारा दावा बंधनारत बाधक पर
 किया है तथा बंधनारत के दावे के
 प्रत्येक खातेदार व उनके वारिसों
 को सूचना जाना - यामोचित है
 सह खातेदार के वारिसों के अभाव
 में दावा आवेदन हो चुका है। अतः
 अतः पक्षों के अभाव में वाद
 वादीगण को अन्ततः आवेदन 15। CPC
 खारिज कर वाद वादीगण का दावा
 पक्षों के अभाव में खारिज होने
 के खारिज किया जाता है। पक्षों की
 फेसल शुमार हो कर नम्बर को भक्त है।
 दाखिल दस्तावेजों। उक्त आदेशा दावे के
 साथ प्रस्तुत न. 1 आवेदन पर 21/09/2021 को
 हाजिर। सि. 15/09/2021 - यामोचित है सूचना जाना।

